समाचार

कोविड प्रोटोकाल उल्लंघन पर लगा 9100 रूपये अर्थदण्ड

कोरबा 24 मई 2021 – कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने व लाकडाउन तोड़ने पर 22 एवं 24 मई को निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनों में कार्यवाही करते हुए 9100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा लाकडाउन के नियमों को पालन करने, अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने आदि के संबंध में संबंधितों को हिदायत दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त दोनों दिवसों में कोरबा जोनांतर्गत 3200 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 2700 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 500 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 1000 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 500 रूपये एवं रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

अवैध कब्जे का प्रयास किया गया विफल– निगम के टी.पी.नगर जोनांतर्गत वार्ड क्र. 14 पम्प हाउस स्थित वार्ड कार्यालय के बगल में बांस बल्ली लगाकर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही निगम अमला मौके पर पहुंचा तथा अवैध कब्जा की मंशा से लगाई गई बांस बल्लियों की घेरेबंदी को निकाल कर अवैध कब्जे के प्रयास को विफल किया गया तथा संबंधित को हिदायत दी गई कि वे अतिक्रमण व अवैध कब्जा न करें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।